न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 101/2024

सतपाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति मजहबी उम्र करीब 44 वर्ष निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. वीरपाल कौर पत्नी स्व0 पप्पू जाति मजहबी निवासी गांव कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री आर.पी. खुड़ियाल – – प्रार्थी
2. श्री सीता राम सुथार – – अप्रार्थी 1
3. पैरोकार राज राज – – अप्रार्थी 2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 24.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के पास चक 4 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 106/73, मुरब्बा नम्बर 39 में किला नम्बर 3,8,6 कब्जा काश्त में है तथा प्रार्थी के नाम उपरोक्त रकबा खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। चक 4 एफ बडा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23, 18, 13 अप्रार्थीया संख्या 1 के कब्जा काश्त में है जो कि अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा खरीदशुदा रकबा है। मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 ता 25 के साथ साथ पक्का खडवंजा बना हुआ द्य है नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना–पत्र है। उपरोक्त पक्के खडवंजा से प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 व 8 में जाने के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा मुरब्बा नम्बर' 39 के किला नम्बर 23,18,13 में से बांयी तरफ एक एक बिस्वा चौडाई में रास्ता की जायज आवश्यकता है, प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता का विकल्प नहीं है, प्रार्थी के रकबा के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने रकबा में जाने–आने के लिए भारी असुविधा व कठिनाई हो रही है इसलिए प्रार्थी के रकबा के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा में से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी रास्ता में आने वाली 'भूमि के बदले में डीएलसी रेट के हिसाब से मुआवजा राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थना–पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है । लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थी के रकबा चक 4 एफ बडा, पटवार हल्का कोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 106/73, मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 व 8 के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा मु० न0 39 के किला नम्बर 23, 18, 13 प्रत्येक में से बांयी तरफ एक एक बिस्वा चौडाई में प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का हुक्म दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वार जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकित तथ्यानुसार चक 4– एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 106/73, मुरब्बा नम्बर 39 की कुल 5.566 हैक्टेयर में से 211/22264 हिस्सा अर्थात् 0.053 हैक्टेयर (मात्र 4 बिस्वा) कृषि भूमि प्रार्थी सतपाल सिंह के नाम दर्ज है। प्रार्थी सतपाल सिंह के नाम दर्ज उक्त हिस्सा 211/22264 वर्तमान जमाबन्दी में 'काश्तकार का नाम के कॉलम में क्रम संख्या 21 पर दर्ज है। श्रीमान् जी, जमाबन्दी का अवलोकन फरमावें। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी (संयुक्त खाता) में प्रार्थी के नाम केवल 0.053 हैक्टेयर अर्थात् 4 बिस्वा कृषि भूमि ही दर्ज है जिसके चलते प्रार्थी का मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3, 8 व 6 पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चक 4– एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 106/73 के मुरब्बा नम्बर 39 में मन अप्रार्थीया के नाम 197/2783 हिस्सा दर्ज कागजात राज है। यह सही है कि मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 ता 25 के साथ रास्ता स्वीकृतशुदा है। प्रार्थी संयुक्त खाता की भूमि में से ही अपने रकबा में आना–जाना करता है। विधिनुसार संयुक्त खाता में दर्ज अपने हिस्सा हेतु प्रार्थी रास्ता की मांग खाता विभाजन करवाए जाने से पूर्व नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने वर्तमान प्रार्थना पत्र में संयुक्त खाता में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वर्तमान प्रार्थना पत्र विधिनुसार पोषणीय नहीं है । अतिरिक्त कथन– प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से ही स्पष्ट है कि प्रार्थी का रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है। विधिनुसार संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा होता है, किसी विशिष्ट किलाजात पर किसी भी खातेदार का कब्जा नहीं होता । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन कतई गलत है कि मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3, 8, 6 उसके कब्जा काश्त में हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम मात्र 0.053 हैक्टेयर (4 बिस्वा) कृषि भूमि है। प्रार्थी की कृषि भूमि संयुक्त खाता में स्थित है। जब तक प्रार्थी खाता विभाजन की डिक्री पारित करवा कर अपना हिस्सा एकल खाता में दर्ज नहीं करवा लेता, तब तक यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि प्रार्थी वर्तमान में चक 4– एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 106/73, मुरब्बा नम्बर 39 के किस किला पर काबिज है। इस प्रकार प्रार्थी की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी संयुक्त खाता के कौन से विशिष्ट किलाजात पर काबिज है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खाता में प्रार्थी का कब्जा काश्त विधिनुसार निर्धारित न होने के कारण प्रार्थी रास्ता की मांग करने का अधिकारी नहीं है। विधिनुसार प्रार्थी संयुक्त खाता का विभाजन करवा कर अपने हिस्से में आने वाले रकबे हेतु रास्ता की मांग कर सकता है व विभाजन की डिक्री पारित करते समय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को प्राप्त होने वाले रकबे हेतु रास्ता विधिनुसार (राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21) के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा नोटिफिकेशन क्रमांक प.5 (1) राज–8/97 दिनांक 06.11.2004 जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत जब भी डिक्री/सहमति के आधार पर किसी जोत का विभाजन किया जावे तो सम्बन्धित अधिकारी विभाजन करते समय से पूर्व प्रत्येक सम्बन्धित काश्तकार के लिए रास्ते का प्रावधान करना सुनिश्चित करे ।... इस प्रकार प्रार्थी संयुक्त खाता में दर्ज अपनी कृषि भूमि के विभाजन के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करके, विभाजन में प्राप्त होने वाले रकबे हेतु रास्ता की मांग कर सकता है, उससे पूर्व नहीं, क्योंकि अभी तक उसका संयुक्त खाता में रकबा ही निश्चित नहीं है । इस प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/1624 दिनांक 12.09.2024 में भी यह नोट अंकित है कि, "प्रार्थी के द्वारा संयुक्त खाते के रकबा में से रास्ता की मांग की है, लेकिन उक्त संयुक्त खाता के रकबा को स्वीकृतशुदा रास्ता पूर्व में लगता है। मौका नक्शा की प्रति अवलोकनार्थ है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के संयुक्त खाता में स्थित रकबा हेतु पूर्व में ही स्वीकृत रास्ता उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। **वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि** प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 3 व 8 में जाने के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 23,18,13 में से बांयी तरफ एक एक बिस्वा चौडाई में रास्ता की जायज आवश्यकता है, प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता का विकल्प नहीं है, प्रार्थी के रकबा के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने रकबा में जाने–आने के लिए भारी असुविधा व कठिनाई हो रही है इसलिए प्रार्थी के रकबा के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा में से प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावे। **वकील अप्रर्थी की मुख्य जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थी संयुक्त खाता की भूमि में से ही अपने रकबा में आना–जाना करता है। विधिनुसार संयुक्त खाता में दर्ज अपने हिस्सा हेतु प्रार्थी रास्ता की मांग खाता विभाजन करवाए जाने से पूर्व नहीं कर सकता। प्रार्थी ने अपने वर्तमान प्रार्थना पत्र में संयुक्त खाता में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वर्तमान प्रार्थना पत्र विधिनुसार पोषणीय नहीं है। विधिनुसार संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है, किसी विशिष्ट किलाजात पर किसी भी खातेदार का कब्जा नहीं होता। जब तक प्रार्थी खाता विभाजन की डिक्री पारित करवा कर अपना हिस्सा एकल खाता में दर्ज नहीं करवा लेता, तब तक यह कयास नहीं लगाया जा सकता कि प्रार्थी वर्तमान में चक 4 एफ बड़ा के संयुक्त खाता संख्या 106/73, मुरब्बा नम्बर 39 के किस किला पर काबिज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 251–ए में खाता के समस्त काश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अनुतोषिक रास्ता की भूमि संयुक्त खाता की आराजी है। जिसमें प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच पर बराबर का अधिकार होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पक्षकारों के संयोजन का अभाव रखा है। जिससे न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 24.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर